अपील

पूर्ववर्ती राज्य उ0 प्र0 मे मुस्लिम औकाफ (वक्फ सम्पत्ति) के बारे में उ0 प्र0 मुस्लिम वक्फ एक्ट 1936 के अन्तर्गत प्रथम बार 1936–37 में छानबीन की गई थी उसके बाद वर्ष 1984 में यह छानबीन की गई। उस समय जो विवरण प्राप्त हुए थे वह सम्पूर्ण एंव विस्तृत नहीं थे। समय–2 पर यह महसूस किया गया कि उस समय बहुत से मुस्लिम औकाफ सर्वसाधारण की दृष्टि में नहीं आए। उस समय न तो तमाम औकाफ की जायदादों के बारे मे सूचनाऐं प्राप्त की गई थी और न उन्हें वक्फ बोर्ड कार्यालय में पंजीकृत कराया गया था। उधर 1947–48 में प्रदेश से मुस्लिम आबादी का ऐसा काफी भाग देश छोडकर चला गया जिसके पास कस्बों एवं गॉवों में काफी वक्फ की जायदाद भी थी और अब उनके दस्तावेज व कागजात या तो उपलब्ध नहीं हुए या गायब हो गये है। इस प्रकार की अधिकतर जायदादें समय बीतने के साथ–2 ऐसे लोगो के कब्जे और उपयोग मे पहॅूच गई है जिनका उन पर न तो कोई दावा है औ न ही अधिकार। 1947 के बाद ऐसा भी हुआ है कि बहुत से मुतवल्लियान और कुछ अन्य लोगों ने औकाफ की जायदादो को अपने एंव दूसरों के नामों में परिवर्तित कर लिया। इससे न केवल औकाफ को नुकसान पहॅूचाया गया बल्कि उन जायदादों को निजी सम्पत्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया गया।

ऐसा भी देखा गया है कि मुस्लिम कब्रिस्तान, कर्बला, वगैरह सरकारी कागजात में व्यक्तिगत नाम से दर्ज है और ऐसे उदाहरण भी प्रकाश में आए है कब्रिस्तान कर्बलाअे के कुछ भाग अथवा उसके कुछ अंश को बेच दिया गया है या उन पर नाजायज कब्जे करा दिये गये है जो कि अत्यन्त खेदजनक है। यह कि कब्रिस्तान एंव कर्बला किसी की व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं माने जा सकते बल्कि इनमे ंलोक हित निहित है। कब्रिस्तान और कर्बला के नाते ऐसी जायदाद का पंजीकृत होना नितान्त आवश्यक है। इसलिए कानून एवं जनहित में इस सम्बन्ध में पुनः छानबीन करना आवश्यक है ताकि उन औकाफ जिनके विषय में अभी जानकारी नहीं है लोगों की जानकारी मे आ जाए और उनकी आमदनियॉ उन हितों पर जिनके लिए वह स्थापित किये गये थे तथा जनहित में खर्च की जा सकें। उत्तराखण्ड में स्थित वक्फ सम्पत्तियों का सुपरवीजन कर रहे व्यक्ति भी वक्फ बोर्ड में अपनी तौलियत पंजीकृत नहीं करा रहे और न ही वक्फ बोर्ड को वक्फ सम्पत्ति की किसी भी प्रकार की सूचनाऐ प्रेषित कर रहे है। प्रायः यह देखा गया है कि वक्फ सम्पत्ति का सुपरवीजन कर रहे व्यक्ति जो कि मुतवल्ली की परिभाषा में आता है उसको वक्फ अधिनियम या वक्फ बोर्ड के बारे मे जानकारी नहीं है यदि जानकारी है तो वक्फ बोर्ड को जानबूझकर जानकारी नहीं दे रहा है।

ऐसा करना वक्फ अधिनियम 1995 के कानून के विरूद्व है जिसके लिए उसको आर्थिक दण्ड एंव कारावास की सजा भी हो सकती है। वक्फ बोर्ड में वक्फ सम्पत्ति की सूचनाऐं अपडेट कराना प्रत्येक मुतवल्ली का परम कर्तव्य है।

अतः इन सब औकाफ के मुतवल्लियान, प्रबन्धकों और कारकूनों को जो वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत वक्फ की परिभाषा में आते है और अब तक वक्फ बोर्ड के कार्यालयों में पंजीकृत वक्फों के तमाम औकाफ के मुतवल्लियान , मुन्तजमिन, और कारकूनो ंको जो पहले से वक्फ बोर्ड के कार्यालय में पंजीकृत है को सूचित किया जाता है कि वह अपने अधीन सभी औकाफ का विस्तृत विवरण निर्धारित प्रपत्र पर जो कि कार्यालय उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, में एंव वक्फ बोर्ड की वैबसाईट www.uttarakhandwaqfboard.uk.gov.in पर उपलब्ध है उनको भरकर यथाशीघ्र वक्फ बोर्ड में प्रस्तुत करें।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 4 के तहत उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा सर्वेक्षण का कार्य कराया जा रहा है। सर्वे सम्बन्धी कार्य के लिए सचिव, राजस्व महोदय को वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त, तथा समस्त जिलाधिकारी महोदय को अतिरिक्त वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त तथा जिला देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर एवं नैनीताल के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं तथा शेष जिला के समाज कल्याण अधिकारी को सहायक अपर सर्वेक्षण वक्फ आयुक्त नियुक्त किया गया है। इस सम्बन्ध में वक्फ का कार्य कर रहे सम्बन्धितों एवं सर्वसाधारण जनता तथा जनसेवी संस्थाओं तथा अन्जुमनों से प्रार्थना है कि वह कारे सवाब समझकर ऐसे सभी औकाफ के बारे में सूचनाऐं सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध कराऐं और सम्बन्धित कागजात यदि हो तो उनके समक्ष प्रस्तुत करें।

इसके अतिरिक्त अन्य जो उनकी जानकारी में है और सर्वसाधारण की दृष्टि में नहीं है तथा जिनकी आमदनियॉ उन औक़ाफ पर नाजायज तौर पर काबिज तौर से काबिज लोगों के द्वारा बेजा तौर पर प्रयोग मे ंलाई जा रही है उनकी सूचना वक्फ बोर्ड को उपलब्ध कराऐं।

ऐसे व्यक्ति जो कि गुप्त औकाफ या उनसे सम्बन्धित जायदाद के बारे में सही सूचनाऐं प्राप्त कर भेजेगें उन्हें वक्फ बोर्ड द्वारा मुनासिब इनाम/सम्मान भी दिया जाएगा।